

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द जिला राजसमन्द
मा नम्बर 37 / 2023 अनवान भगवान... बनाम ...

क्रमांक

12/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रार्थी गण अनुपस्थित।
वादी/प्रार्थी गण के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी
गण एवं उनके अधिवक्ता को रूक-रूक कर कई बार
आवाजे दिलवाई गई, फिर भी न तो वादी/प्रार्थी गण न
ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। न्यायालय समय समाप्त
होने तक वादी/प्रार्थी गण की ओर से कोई भी उपस्थित
नहीं हुआ। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी/प्रार्थी
गण का प्रतिवादी/विपक्षी गण से कोई समझौता हो गया
है। जिससे वादी/प्रार्थी गण अब प्रकरण में कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं अथवा वादी/प्रार्थी गण अपने वाद/प्रार्थना
पत्र के प्रति गम्भीर नहीं है।

हस्ताक्षर

अतः वादी/प्रार्थी गण की ओर से प्रकरण में पैरवी
हेतु किसी के भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर
पर अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो, बाद
दाखिला बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

M-

(बृजेश गुप्ता R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद